FORM NO. III (प्रारूप संख्या–3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अति. जिला कलक्टर मुकाम नीमकाथाना (सीकर)

सरकार बनाम रमाकान्त वगै०

किस्म मुकदमा FSS Act नम्बर 5 वर्ष 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.2023	पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री रमाकान्त अग्रवाल पुत्र श्री ताराचन्द अग्रवाल (विक्रेता) निवासी वार्ड नं. 21 नारनोलिया का मोहल्ला, खण्डेला सीकर व श्री अरूण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री रमाकान्त अग्रवाल (मालिक) निवासी वार्ड नं. 21 नारनोलिया का मोहल्ला, खण्डेला; मैसर्स अरूण इन्टरप्राईजेज, हायर सेकन्डरी स्कुल के पास, प्रताप रोड़, खण्डेला जिला सीकर उपस्थित हुये। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 02.11.2022 को समय 2:50 पी.एम. पर खण्डेला सीकर में निरीक्षण के लिए पंहुचे। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे मैसर्स अरूण इन्टरप्राईजेज, में अप्रार्थी श्री रमाकान्त अग्रवाल(विक्रेता) द्वारा लाल मिर्च पाउण्डर विक्रय हेतु रखा पाया गया। विक्रेता को मैनें अपना परिचय दिया व उनका नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम बताया। रमाकान्त अग्रवाल से वर्ष 2022 का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो विक्रेता ने मौके पर खाद्य लाइसेंस वर्ष 2022 होना बताया। निरीक्षण के द्वौरान मैसर्स पर लाल मिर्च पाउण्डर का विक्रय किया जा रहा था। फर्म पर उपलब्ध लगभग 15 बेग में 750 किलोग्राम लाल मिर्च पाउण्डर विक्रय के लिए रखा हुआ था। उपलब्ध स्टोक में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। नमूना जांच हेतु 2 किलोग्राम लाल मिर्च पाउण्डर खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता रमाकान्त को 700 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना अमानक पाया गया। प्रार्थी व अप्रार्थी [illegible] पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन कि[illegible] गया [illegible] प्रार्थी नम्बर एफ–3175 खाद्य पदार्थ लाल [illegible] लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य [illegible] कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **अमानक लाल मिर्च पाउण्**[illegible] का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:07:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	26 की उप धारा 2(।।) का उल्लघंन पाया गया। यह कृत्य लोगो के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये। अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण को 50,000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 30.01.2023 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। (अनिल कुमार) अति. जिला कलक्टर, नीमकाथाना सीकर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:07:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner